बिहार सरकार

बिहार तकनीकी सेवा आयोग,

19, हार्डिंग रोड, पटना।

विज्ञापन सं०–04/2023

फार्मासिस्ट के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन।

1. स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना अन्तर्गत फार्मासिस्ट के कुल 1539 रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक–9003, दिनांक–30.09.2020 के द्वारा प्राप्त अधियाचना के आलोक में सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में आयोग के वेबसाईट **www.btsc.bih.nic.in** एवं **www.pariksha.nic.in** पर **दिनांक–12.01.2023 से दिनांक–11.02.2023** तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते है।

अधियाची विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये रोस्टर के अनुसार फार्मासिस्ट हेतु पदों की कोटिवार विवरणी, वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता निम्नलिखित रूप से हैः–

वेतनमान	पदों की कोटिवार विवरणी।										अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता
	अना०	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनु० जाति	अनु० जन० जाति	अ० पि० व०	पि० व०	पि०व० की महिला	कुल	स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती नाती/नतीनी के लिए 2%	दिव्यांग हेतु 4%	
5200– 20200 एवं ग्रेड पे–2800 तथा 7 पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन स्तर–5 (पाँच)	561	132	321	22	333	105	65	1539	26	दृष्टि(VI) -13 चलन(OH)-13 मनोवि०(HH)-13 मूक(DD)-14 ------------- **कुल**–53	(i) इंटरमीडिएट/+2 उत्तीर्ण। (विज्ञान संकाय) (ii) डिप्लोमा इन फार्मेसी के सभी पार्ट (i, ii, iii) में उत्तीर्णता। (iii) बिहार फार्मेसी काउन्सिल से रजिस्ट्रीकृत होना आवश्यक होगा। **टिप्पणी** :– बी फार्मा० एवं एम० फार्मा० उत्तीर्ण भी आवेदन कर सकेंगे।
35% महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण	187	39	79	05	87	35	0	432			

2. **आयु सीमा**:–(i) दिनांक–01.08.2019 को न्यूनतम 21 वर्ष।

अधिकतम उम्र सीमा:–

(ii) अनारक्षित––37 वर्ष

(iii) अनारक्षित महिला––40 वर्ष

(iv) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग (पुरूष/महिला)––40 वर्ष

(v) अनु० जाति/अनु० जनजाति (पुरूष/महिला)––42 वर्ष

(vi) उक्त आयु सीमा में सा०प्र०वि० के संकल्प सं०–62, दिनांक–05.01.2007 के आलोक के दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य हैं।

(vii) सा०प्र०वि० के संकल्प सं०–2374, दिनांक–16.07.2007 के आलोक के सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा में जाने हेतु अधिकतम आयु सीमा के 5 (पाँच) वर्षों की छूट अनुमान्य हैं।

(viii) सा०प्र०वि० के संकल्प सं०–1003, दिनांक–22.01.2021 के आलोक में संविदा नियोजन के फलस्वरूप किये गये कार्य अवधि के समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जायेगी। किसी कार्यरत वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जायेगा। उक्त छूट की गणना Cut-off date दिनांक–01.08. 2019 तक की जाएगी।

(ix) विज्ञापन सं०–0606/2006 अन्तर्गत प्रकाशित विज्ञापन में उम्र की गणना दिनांक– 01.08.2005 निर्धारित था। अतः वैसे उम्मीदवार जो दि०–01.08.2005 से 01.08.2019 तक अधिकतम उम्र सीमा के आधार पर पात्रता रखते थे और अद्यतन अन्य अहर्तायें पूरी करते हैं, वे भी योग्य पात्र होंगे।

(x) किसी अभ्यर्थी को कंडिका–2(vi), (vii), (viii) एवं 2(ix) में से कोई एक ही छूट अधिकतम आयु सीमा में देय होगा।

3. चयन की प्रक्रियाः–

i	इन्टरमीडिएट/10+2 कोर्स की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए	30 अंक
ii	डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए	25 अंक
iii	उच्चतर शिक्षा (बी० फार्मा के लिए–10 अंक/एम० फार्मा के लिए–10 अंक) के परीक्षा में प्राप्तांक के लिए	20 अंक
iv	बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों में कार्य का अनुभव के लिए (प्रतिवर्ष के लिए 5 अंक, अधिकतम 25 अंक) दिये जायेंगें। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या में 5 से गुणा करने के पश्चात् 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जायेगा, (सा०प्रा०वि० के संकल्प सं०– 1003, दिनांक–22.01.2021)।	25 अंक
	कुलः–	**100 अंक**

नोटः–(i) इंटरमीडिएट/10+2 एवं फार्मासिस्ट के डिप्लोमा कोर्स की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किये जाने वाले अंकों का अवधारण उक्त कोर्स की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को क्रमशः 0.3 एवं 0.25 के गुणक से गुणा कर किया जायेगा। उदाहरणार्थ यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 50 प्रतिशत अंक इंटरमीडिएट/10+2 में तथा 50 प्रतिशत अंक फार्मास्टि के डिप्लोमा कोर्स में प्राप्त किया गया है तो उसे क्रमश 50X0.3= 15 तथा 50X0.25= 12.5 अंक दिये जायेंगे।

(ii)निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ बिहार पटना के पत्रांक 606(4) दिनांक 19/05/2021 के आलोक में अंको की गणना निम्नवत की जायेगी।

अभ्यर्थी	अभ्यर्थी की योग्यता	इंटरमीडिए/10+2 में प्राप्तांक के लिए अधिकतम	डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए अधिकतम	उच्चतर शिक्षा (बी० फार्मा/एम फार्मा के परीक्षा में प्राप्तांक के लिए बी० फार्मा–10 अंक तथा एम० फार्मा–10 अकं)		कुल (out of 75)
				B.Pharma	M.Pharma	
A.	केवल Diploma in Pharmacy	30	25	0	0	55
B.	Diploma in Pharmacy +B.Pharma	30	25	10	0	65
C.	Diploma in Pharmacy +B.Pharma+ M.Pharma	30	25	10	10	75
D.	Direct B.Pharma	30	0	10	00	40
E.	Direct B.Pharma+M.Pharma	30	0	10	10	50

(iii) अभ्यर्थी विज्ञापन प्रकाशन की तिथि अर्थात दिनांक–12.01.2023 तक कंडिका–3(iv) में वर्णित बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों में संविदा पर कार्यरत होने का कार्यानुभव प्रमाण–पत्र जो संबंधित अस्पताल के अधीक्षक, उपाधीक्षक, निदेशक एवं संबंधित जिला के सिविल सर्जन द्वारा निर्गत हो, आवेदन के विहित कॉलम में दर्ज करेंगें। आवेदन में कार्यानुभव का दावा नहीं होने पर कार्यानुभव का अंक एवं आयु सीमा में छूट का लाभ देय नहीं होगा। कार्यानुभव अवधि की गणना **12.01.2023** तिथि तक की जायेगी।

(iv) कार्यानुभव प्रमाण–पत्र हेतु परिशिष्ट–1 में प्रारूप (Format) संलग्न किया गया है। इस प्रारूप में ही कार्यानुभव प्रमाण–पत्र दिये जाने पर कार्यानुभव के अंको एवं आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। इस प्रारूप से इतर किसी अन्य प्रारूप में कार्यानुभव प्रमाण–पत्र दिये जाने पर अंको का लाभ देय नहीं होगा।

आर्‍डु

4. **आरक्षणः—**

(i) ऑनलाईन आवेदन के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मलेगा।

(ii) आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। ऑनलाईन आवेदन में भरा गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा।

(iii) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक—12722, दिनांक—12.09.2014 के आलोक में किन्नर/कोथी/हिजड़ा ट्रांसजेंडर (थर्डजेंडर) को पिछड़े वर्गों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ देय होगा।

(iv)(A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण—पत्र जमा करना अनिवार्य होगाः—

(a) जाति प्रमाण—पत्र
(b) स्थायी निवास (डोमिसाइल) प्रमाण—पत्र

(B) पिछड़ी जाति एवं अत्यन्त पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण—पत्र जमा करना अनिवार्य होगाः—

(a) क्रीमीलेयर रहित जाति प्रमाण—पत्र (बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ)
(b) स्थायी निवास (डोमिसाइल) प्रमाण—पत्र

(C) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगाः—

(a) आय एवं परिसम्पति प्रमाण पत्र
(b) स्थायी निवास (डोमिसाइल) प्रमाण—पत्र

उक्त सभी प्रमाण पत्र अपने स्थाई अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया मान्य होगा।

नोटः—**(i) केवल जाति प्रमाण—पत्र के आधार पर पिछड़ा एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। पिछड़ा एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के सदस्यों हेतु कीमीलेयर रहित जाति प्रमाण—पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। कीमीलेयर रहित जाति प्रमाण—पत्र से इतर अन्य जाति प्रमाण—पत्र मान्य नहीं होगा।**

(ii) सा०प्र० विभाग के अधिसूचना संख्या—673, दिनांक—08.03.2021 के आलोक में महिला अभ्यर्थियों हेतु जाति (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु) एवं कीमीलेयर रहित जाति प्रमाण—पत्र (पिछड़ा एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग हेतु) पिता के नाम एवं पता सहित निर्गत होना अनिवार्य है। साथ ही इस प्रसंग में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक—15760, दिनांक—02.09.2022 के आलोक में भी कार्रवाई की जायेगी।

(iii) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण का अंकण आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षित कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण—पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य है। आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव पंजीकरण के उपरांत नहीं किया जा सकेगा। दावा किये गये कोटि से इतर कोटि का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने अथवा अन्य किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

आरक्षित कोटि

क्र० सं०	आरक्षित कोटि
1.	अनुसूचित जाति (SC)
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)
3.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC)
4.	पिछड़ा वर्ग (BC)
5.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)
6.	पिछड़े वर्गों की महिला (WBC)

आकु

(v) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं०–13062, दिनांक–17.10.2017 के कंडिका–vi के आलोक में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा विधिवत् रूप से गठित बोर्ड द्वारा Appendix-1 में संलग्न विहित प्रपत्र में निर्गत दिव्यांगता प्रमाण–पत्र मान्य किया जायेगा, जिसे upload किया जाना एवं Online आवेदन के विहित कॉलम में दिव्यांगता का दावा करना आवश्यक होगा। अन्यथा दिव्यांगता (निःशक्तता) के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक–13185, दिनांक–03.09.2015 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को नियमानुसार 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का प्रमाण–पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए।

(vii) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक–16144, दिनांक–28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।

(viii) ऑनलाईन आवेदन में आरक्षण के इंगित कॉलम में कोटि/दिव्यांगता/निःशक्तता/स्वतंत्रता सेनानी/संविदा पर कार्यरत रहने का दावा नहीं करने पर उनसे संबंधित आरक्षण एवं अन्य लाभ अनुमान्य नहीं होंगे।

5. **आवेदन शुल्कः**– (i) Online आवेदन करने हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क निम्नवत् हैः–

क्र0सं0	उम्मीदवार की कोटि	आवेदन शुल्क
1	सामान्य वर्ग/पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	रू0 200/–
2	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (बिहार राज्य के स्थायी निवासी)	रू0 50/–
3	आरक्षित/अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार (बिहार राज्य के स्थायी निवासी)	रू0 50/–
4	राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वे किसी भी वर्ग के महिला/पुरूष हों।	रू0 200/–

(ii) सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क के एक चौथाई जमा करना होगा, अर्थात अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को यदि 200 रूपया निर्धारित है, तो दिव्यांग अभ्यर्थी को मात्र 50 रूपया परीक्षा शुल्क देय होगा।

(iii) अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन शुल्क डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इन्टरनेट बैंकिंग या **एस. बी. आई** के ई–चलान के माध्यम से जमा किया जायेगा एवं रसीद की प्रति आवेदक के पास सुरक्षित रखा जायेगा।

(iv) ऑनलाईन भुगतान में अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाईन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा।

(v) अभ्यर्थी ऑनलाईन भुगतान से संबंधित बैंक रसीद को प्रिन्ट कर ऑनलाईन आवेदन के विहित कॉलम में अंकित करेगें।

(vi) वैसे सभी कोटि के अभ्यर्थियों, जो अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्तता के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा करते हैं, और भविष्य में उनके द्वारा संबंधित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर उनकी अभ्यर्थिता रदद् कर दी जायेगी। निःशक्त अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे यदि स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी।

6. <u>महत्वपूर्ण निर्देशः–</u>

(i) ऑनलाइन आवेदन–पत्र के विहित कॉलम में अपने सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र की प्रति तथा आरक्षण से संबंधित सूचना की प्रविष्टि कर सभी वांछित प्रमाण–पत्र विहित कॉलम में upload करना सुनिश्चित करेंगे। कोई भी प्रमाण–पत्र upload नहीं किये जाने पर अभ्यर्थिता रद्द करने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा।

(ii) Online आवेदन में किये गये प्रविष्टि के अनुसार काउंसलिंग के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(iii) **कंडिका 3 (iv) के अन्तर्गत अधिमानता का दावा करने वाले उम्मीदवारों को बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों में संविदा पर कार्यरत फार्मासिस्ट को कार्यानुभव संबंधी (परिशिष्ट–1 में संलग्न प्रारूप (format) में) प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए संबंधित अस्पतालों के अधीक्षक, उपाधीक्षक, निदेशक एवं संबंधित जिला के सिविल सर्जन सक्षम प्राधिकार होंगे।**

7. विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र एवं अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन को डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा काउसेलिंग के समय या किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण–पत्र का इंक साईन कॉपी निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।

8. **योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण–पत्र यथा–शैक्षणिक प्रमाण–पत्र, आरक्षण हेतु निर्गत प्रमाण–पत्र, कार्य अनुभव हेतु प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे, जिसका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र में किया है। उक्त सभी प्रमाण–पत्रों के निर्गत होने की तिथि <u>11.02.2023</u> के पूर्व का होना आवयश्क है।**

9. आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण–पत्र, अंक–पत्र काउंसलिंग के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। काउंसलिंग में प्रमाण–पत्र नहीं प्रस्तुत करने/त्रुटिपूर्ण होने की दशा में अलग से कोई भी प्रमाण–पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा।

10. आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण–पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध हैं।

11. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाईट **<u>www.btsc.bih.nic.in</u>** एवं **<u>www.pariksha.nic.in</u>** पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।

12. इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाईन आवदेन से अलग मुद्रित, टंकित, हस्त लिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेगे। साथ ही अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेगें तथा शुल्क वापस नहीं किये जायेगें।

13. **आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जायेगी। भविष्य में आवेदन में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे। ऑनलाईन आवेदन में सुधार हेतु किसी आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा एवं वैसे आवेदनों को निरस्त कर दिया जायेगा।**

14. आयोग द्वारा निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी को काउंसिलिंग कराना अनिवार्य होगा। कॉउसिलिंग में अनुपस्थित अभ्यर्थी को पुनः कॉउसिलिंग कराने हेतु दावा मान्य नहीं होगा किन्तु इस संदर्भ में आयोग का निर्णय मान्य होगा।

15. <u>ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से संबंधित अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:–</u>

(i) ऑनलाईन भुगतान करने वाले अभ्यर्थी चालान की प्रति डाउनलोड कर सुरक्षित रख लेंगे।

(ii) अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देश का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही–सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने एवं ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं

होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ऑनलाईन आवेदन में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

(iii) अभ्यर्थी, अपना नाम, जन्म तिथि, कोटि, आवेदन शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही ऑनलाईन आवेदन शुल्क जमा करेगे।

(iv) ऑनलाईन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे चयन सूची के अंतिम प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे।

(v) मात्र रजिस्ट्रेशन करने एवं ऑनलाईन शुल्क जमा करने से यह नहीं माना जाएगा कि आवेदक द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाईन आवेदन भर लिया गया हैं।

(vi) इन्टरनेट या बैंकिग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।

(vii) **फोटोग्राफ**:–(क) आवेदक/अभ्यर्थी का फोटो हाल का खींचा होना चाहिए।(तीन माह के अंदर का)

(ख) आवेदक/अभ्यर्थी का चेहरा एवं सिर ऊपर से नीचे तक दिखना चाहिए और फोटो में आँख खुला होना चाहिए।

(ग) बैकग्राउण्ड में सफेद पटल होना चाहिए। फोटो पर किसी प्रकार की छाया नहीं होना चाहिए। यदि आवेदक चश्मा लगाते हैं तो फोटो बिना चश्मा के खीचवाएगें।

(घ) कंडिका–15(vii)(क)(ख)(ग) में वर्णित निदेशों के अनुरूप फोटो नहीं रहने पर अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।

(viii) अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है, उसकी कम से कम पाँच अतिरिक्त प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।

(ix) ऑनलाईन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ऐसी त्रुटियों की स्थिति में अभ्यर्थी तुरंत पूर्व में डाउनलोड किये गए चालान के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक के किसी भी शाखा में निर्धारित तिथि के अंदर नगद भुगतान कर आवेदन भरने की कार्रवाई करेंगे।

(x) विज्ञापन प्रकाशन की तिथि एवं आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के बीच की अवधि में अधियाची विभाग के द्वारा/राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त निदेशो के आलोक में विज्ञप्ति में आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकता है।

नोटः–1. अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि वे कोई भी फर्जी/जाली प्रमाण–पत्र के आधार पर उक्त आवेदन नहीं भरेगें अन्यथा किसी भी स्तर से प्रमाण–पत्र फर्जी पाये जाने पर उनकी अभ्यर्थिता रदद् कर दी जायेगी एवं उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

2. उक्त वर्णित विज्ञापन LPA-158/2020 बिहार सरकार बनाम अरविन्द कुमार में पारित अंतिम न्यायादेश के फलाफल से प्रभावित होगा।

ह० 9.1.2023

प्रभारी सचिव,
बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।